PCSMANTRA.COM

ट्रांसजेंडर अधिकार और स्वास्थ्य सेवा: 2026 संशोधन के बाद बहस क्यों तेज है?

समाचार: 18 नवंबर 2026 | प्रकाशन: 18 नवंबर 2026 मुख्य परीक्षा: GS-II, सामाजिक न्याय और कल्याणकारी कानून; GS-I, भारतीय समाज
प्रिलिम्स: NALSA निर्णय (2014), ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019, अनुच्छेद 14-15-19-21



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

चर्चा में क्यों?

द हिंदू के 18 नवंबर 2026 के प्रधान संपादकीय "Transgender rights, healthcare should not be compromised" ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 और स्वास्थ्य सेवा की स्थिति पर बहस फिर खोल दी है। संपादकीय के अनुसार भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की देखभाल-जरूरतों की चिकित्सकीय समझ अब भी प्रारंभिक है, और डॉक्टरों, नर्सों से लेकर अस्पताल प्रशासन तक को ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य की बुनियादी ट्रेनिंग चाहिए।

कानूनी पृष्ठभूमि के लिए, 29 जुलाई 2026 की इंडिया लीगल रिपोर्ट संशोधित परिभाषा के विरुद्ध याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का विवरण देती है। 15 जून 2026 की बार एंड बेंच रिपोर्ट अलग स्थानांतरण कार्यवाही से संबंधित है। ये पुराने दिनांकित प्रक्रियात्मक विवरण हैं, नवंबर के नए आदेश नहीं; उनसे मुकदमों की आज की स्थिति का निष्कर्ष नहीं निकाला गया है।

2014 से 2026 तक: कानून का सफर

2014 में NALSA बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को "तीसरा लिंग" मान्यता दी और कहा कि लैंगिक पहचान व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा है - हर व्यक्ति को बाहरी प्रमाण के बिना अपनी लिंग-पहचान तय करने का अधिकार है। 2019 का ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम इसी दिशा का पहला समग्र कानून था।

संपादकीय के अनुसार 2026 का संशोधन स्व-पहचान के सिद्धांत को हटाता है और तीन शर्तें जोड़ता है: मेडिकल बोर्ड की सिफारिश, निर्धारित श्रेणियों में से चयन, और जिला दंडाधिकारी (District Magistrate) का प्रमाणपत्र। इससे कानूनी मान्यता का आधार व्यक्ति की स्व-पहचान से बदलकर चिकित्सकीय-प्रशासनिक मूल्यांकन बन जाता है। संपादकीय के अनुसार यह परिभाषा WHO की ICD-11 और WPATH के Standards of Care (Version 8) जैसे अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों से टकराती है।

स्व-पहचान बनाम चिकित्सकीय प्रमाण: केंद्रीय प्रश्न

स्व-पहचान का अर्थ है कि व्यक्ति की बताई लिंग-पहचान ही कानूनी मान्यता का आधार हो। चिकित्सकीय-प्रमाण मॉडल में डॉक्टरों के बोर्ड और अधिकारी तय करते हैं कि कौन ट्रांसजेंडर है। पहला मॉडल स्वायत्तता और गरिमा (अनुच्छेद 21) पर टिका है; दूसरा मॉडल कानून-व्यवस्था और प्रमाण-विश्वसनीयता के तर्क पर।

परीक्षा में संतुलन रखें: NALSA ने स्व-पहचान को मूल अधिकारों से जोड़ा। याचिकाकर्ताओं की आपत्तियाँ और कानून की संवैधानिक वैधता पर न्यायालय का निर्णय अलग बातें हैं। केवल नोटिस जारी होने का अर्थ चुनौती स्वीकार होना नहीं है।

यह भी पढ़ें: ट्रांसजेंडर (संशोधन) अधिनियम 2026: क्या बदला और क्यों चुनौती

स्वास्थ्य सेवा का पहलू

संपादकीय की प्रमुख चिंता स्वास्थ्य है: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अस्पतालों में भेदभाव, अनभिज्ञता और अपमान का सामना करना पड़ता है, जिससे वे इलाज ही टाल देते हैं। चिकित्सकों की ट्रेनिंग, समावेशी प्रक्रियाएँ और सम्मानजनक व्यवहार - ये तीनों स्वास्थ्य-अधिकार (अनुच्छेद 21 के अंतर्गत) की शर्त हैं। कानूनी मान्यता की प्रक्रिया कठिन होने से स्वास्थ्य-कार्ड, बीमा और कल्याण-योजनाओं तक पहुँच भी प्रभावित होती है।

मुख्य परीक्षा: विश्लेषण के बिंदु

इस विषय को तीन अक्षों पर पढ़ें। संवैधानिक अक्ष: NALSA की विरासत और मूल अधिकार; क्या संसद न्यायिक सिद्धांत को संशोधन से बदल सकती है - यह कोर्ट के समक्ष है। प्रशासनिक अक्ष: प्रमाण-प्रक्रिया की व्यवहार्यता - जिनके पास दस्तावेज़ और पारिवारिक सहारा नहीं, उन पर मेडिकल-बोर्ड मॉडल का बोझ अधिक पड़ता है। स्वास्थ्य अक्ष: मान्यता और देखभाल की पहुँच आपस में जुड़ी हैं; कानून बदलने से अस्पताल का व्यवहार अपने-आप नहीं बदलता।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

"ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की कानूनी मान्यता और स्वास्थ्य सेवा की पहुँच एक-दूसरे से जुड़े प्रश्न हैं।" 2026 संशोधन अधिनियम और NALSA निर्णय के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए। (250 शब्द)

PCSMANTRA.COM

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में:

NALSA (2014) से स्व-पहचान की मान्यता; 2026 संशोधन से चिकित्सकीय-प्रशासनिक मॉडल; मामला सुप्रीम कोर्ट में।

मुख्य भाग में:

संवैधानिक पक्ष: अनुच्छेद 14, 15, 19, 21; NALSA की विरासत बनाम संशोधन।

प्रशासनिक पक्ष: दस्तावेज़-विहीन और परिवार से अलग व्यक्तियों पर प्रक्रिया का बोझ।

स्वास्थ्य पक्ष: भेदभाव से इलाज का टलना; ट्रेनिंग और समावेशी प्रक्रियाओं की जरूरत।

निष्कर्ष में:

मान्यता और देखभाल दोनों पर संतुलित, सम्मानजनक व्यवस्था चाहिए; कोर्ट के अंतिम निर्णय तक निष्कर्ष सावधानी से।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

NALSA निर्णय क्या था?

2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरा लिंग मान्यता दी और लिंग-पहचान के स्व-निर्धारण को मूल अधिकारों से जोड़ा।

2026 संशोधन में क्या बदला बताया गया है?

संपादकीय के अनुसार स्व-पहचान की जगह मेडिकल बोर्ड की सिफारिश, निर्धारित श्रेणी का चयन और जिला दंडाधिकारी का प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया गया है।

अदालत में मामले की स्थिति क्या है?

इंडिया लीगल ने 29 जुलाई 2026 को संशोधित परिभाषा की चुनौती पर नोटिस का विवरण दिया था। यह दिनांकित पृष्ठभूमि है, वर्तमान केस-स्थिति का दावा नहीं।

स्वास्थ्य सेवा का मुद्दा क्यों जुड़ा है?

संपादकीय के अनुसार अस्पतालों में भेदभाव और अनभिज्ञता के कारण ट्रांसजेंडर व्यक्ति इलाज टाल देते हैं; चिकित्सकों की ट्रेनिंग और समावेशी प्रक्रियाएँ जरूरी हैं। स्रोत (Sources): द हिंदू - Transgender rights, healthcare should not be compromised (प्रधान संपादकीय, 18 नवंबर 2026) - https://www.thehindu.com/opinion/lead/transgender-rights-healthcare-should-not-be-compromised/article71713242.ece इंडिया लीगल - Supreme Court issues notice on plea challenging amended definition of 'transgender person' under 2026 law - https://indialegallive.com/constitutional-law-news/courts-news/supreme-court-issues-notice-on-plea-challenging-amended-definition-of-transgender-person-under-2026-law/ बार एंड बेंच - Transgender Amendment Act: Supreme Court moots hearing petitions to avoid scattered opinions by High Courts (15 जून 2026) - https://www.barandbench.com/news/litigation/transgender-amendment-act-supreme-court-moots-hearing-petitions-to-avoid-scattered-opinions-by-high-courts

स्रोत

- www.thehindu.com
- indialegallive.com
- www.barandbench.com
- egazette.gov.in
- egazette.gov.in

PCSMANTRA.COM